

प्रेस नोट

श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय प्रयागराज के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक यमुनापार व क्षेत्राधिकारी बारा महोदय के पर्यवेक्षण में संदिग्ध वाहन/व्यक्ति व वाहन चोर अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 07/08/2019 को थानाध्यक्ष लालापुर के नेतृत्व में 30नि0 उमेश खरवार एवं उनकी टीम द्वारा लगातार कई दिनों से किये जा रहे प्रयास तथा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त शिवबाबू विश्वकर्मा पुत्र विनोद कुमार विश्वकर्मा नि0 ग्राम बलापुर थाना घूरपुर जनपद प्रयागराज को पकड़ने में उल्लेखनीय सफलता हासिल हुई। अभियुक्त के कब्जे से एक अदद चोरी की मो0सा0 हीरो स्प्लेण्डर प्रो वाहन नं0 UP 70 CL 3674 बरामद हुआ। उल्लेखनीय है कि विगत कई दिनों से यह सूचना मिल रही थी कि थाना लालापुर क्षेत्रान्तर्गत में कुछ वाहन चोर चोरी का वाहन व वाहनो का नम्बर प्लेट बदलकर खरीदने व बेचने में सक्रिय है। इस सूचना पर मैं थानाध्यक्ष व 30नि0 उमेश खरवार थाना लालापुर ने स्वयं मुखबिर तंत्र को विकसित किया। आज दिनांक 07/08/2019 को एक नफर अभियुक्त शिवबाबू विश्वकर्मा पुत्र विनोद कुमार विश्वकर्मा नि0 ग्राम बलापुर थाना घूरपुर जनपद प्रयागराज को गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 114/19 धारा 41/411/419/420/467/468/471 IPC पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

1. शिवबाबू विश्वकर्मा पुत्र विनोद कुमार विश्वकर्मा नि0 ग्राम बलापुर थाना घूरपुर जनपद प्रयागराज

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण -

- 1- SO श्री संतोष कुमार सिंह
- 2- 30नि0 श्री उमेश खरवार
- 3- 30नि0 श्री सुभाषचन्द्र यादव
- 4- का0 विवेकानन्द शर्मा

बरामदगी का विवरण -

1. एक अदद मो0सा0 हीरो स्प्लेण्डर प्रो वाहन नं0 UP 70 CL 3674 चेचिस नं0 MBLHA10A3DHL63478

थानाध्यक्ष
थाना - लालापुर
जनपद - प्रयागराज



प्रेस नोट थाना खीरी जनपद प्रयागराज दिनांक 07.08.19

बरामदगी गुमशुदा महिला

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज द्वारा गुमशुदा/अपहृता की बरामदगी हेतु लगातार चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक यमुनापार, व क्षेत्राधिकारी मेजा महोदय के निर्देशन में थानाध्यक्ष खीरी व उनकी पुलिस टीम द्वारा दिनांक 31.07.19 को थाना खीरी पर पंजीकृत गुमशुदगी में गुमशुदा महिला श्रीमती श्यामकली पत्नी छोटेलाल आदिवासी नि0 ग्राम कंचनपुर थाना खीरी जनपद प्रयागराज की बरामदगी की गयी, आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

